संख्या-41/2022/224/23-10-22-10(बजट)/2016

प्रेषक,

राजेश कुमार अग्रवाल
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊः दिनांकः 20 अप्रैल, 2022**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 राजस्व मदों के अनुरक्षण कार्यों हेतु लेखानुदान के माध्यम से स्वीकृत धनराशि को प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-22सी0/54सी0/निवर्तन/22-23, दिनांक 06.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 राजस्व मदों के अनुरक्षण कार्यों हेतु लेखानुदान के माध्यम से स्वीकृत धनराशि प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नविवरणानुसार/शर्तों के अधीन वित्तीय व्यय करने हेतु कुल 0 851.5000 करोड़ (रूपये आठ सौ इक्यावन करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्य लो0नि0वि0 लखनऊ के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्रम सं0	**योजना का नाम/15 अंकीय बजट कोड**	वर्ष 2022-23 हेतु लेखानुदान के माध्यम से स्वीकृत धनराशि	वर्ष 2022-23 में निवर्तन पर रखने हेतु धनराशि
1	**2**	**3**	**4**
1	प्रदेश के मार्गो/पुलियों का अनुरक्षण (3054-04-337-03-0301-29)	425.0000	425.0000
2	प्रदेश के सम्पारों का अनुरक्षण तथा रेल कम सड़क पुलों के अनुरक्षण हेतु रेलवे के भुगतान (3054-04-337-03-0331-29)	0.8333	0.8333
3	प्रदेश के ग्रामीण मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण कार्य (3054-04-337-03-0332-29)	425.0000	425.0000
4	प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरीय चैराहों का सुधार, सौंदर्यीकरण एवं अनुरक्षण कार्य (3054-80-800-07-0702-29)	0.6667	0.6667
	;kx %&	**851.5000**	**851.5000**

(1) प्रश्नगत धनराशि को प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 द्वारा एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में न रखी जाये।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-5/2022-बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनॉक 29 मार्च 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

(3) केवल स्वीकृत योजनाओं/मदों पर व्यय किया जायेगा। किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग अन्य मदों के कार्यान्वयन में नहीं किया जायेगा। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के संबंध में कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जायेगा।

3- यह आदेश **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-5/2022-बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनॉक 29 मार्च 2022** में प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या-41/2022/224(1)/23-10-22, तददिनांक ।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हक0, प्रथम एवं द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
3- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
4- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं 2 ।
5- नियोजन अनुभाग-4 / गार्ड फाईल ।
6- अनुभाग- 01 एवं 11

आज्ञा से,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
संयुक्त सचिव।